



**इन्दिरा गाँधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान
(राज्य ग्रामीण विकास संस्थान)**

जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302 004

फोन : 0141-2702784, 2706577-78 फैक्स : 2706575

E-Mail: igprgvs@rajasthan.gov.in

क्रमांक : एफ 4 () भण्डार/आईजीपीआरएस/2018/460 दिनांक 13.4.18

नीलामी सूचना

संस्थान मुख्य भवन बेसमेन्ट स्टोर में उपलब्ध अनुपयोगी/नकारा सामान/फर्नीचर/उपकरणों यथा कम्प्यूटर, प्रिन्टर, बिजली का सामान, सैनेटरी का सामान, कुर्सी, कूलर एल्यूमिनियम गेट लोहे की खिड़कियां, लोहे के पलंग, रजाई, गद्दे, आदि जिनका पुस्तक मूल्य रूपये 2479536/- तथा उक्त क्रम में बिड प्रतिभूति राशि रूपये 50,000/- है, की नीलामी दिनांक 07.05.2018 को प्रातः 11.00 बजे से संस्थान परिसर में प्रारम्भ की जानी है।

कृपया विस्तृत विवरण संस्थान की वेबसाईट www.igprgvs.rajasthan.gov.in तथा संस्थान के नोटिस बोर्ड पर उपलब्ध है।

अतिरिक्त निदेशक



इन्दिरा गाँधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान
(राज्य ग्रामीण विकास संस्थान)

जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302 004

फ़ोन : 0141-2702784, 2706577-78 फ़ैक्स : 2706575

E-Mail: igprgvs@rajasthan.gov.in

नीलामी सूचना

इन्दिरा गाँधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान मुख्य भवन, बेसमेन्ट स्टोर में उपलब्ध अनुपयोगी/नकारा सामान/उपकरणों की नीलामी की जानी है। जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

फर्नीचर, इलेक्ट्रिक एवं विविध स्टोर के नकारा सामान का विवरण

क्र.सं.	सामान का विवरण	पुस्तक मूल्य रुपयों में	बोली प्रतिभूति राशि रुपयों में	नीलामी की दिनांक समय व स्थान
1	बिजली का पुराना सामान, सैनेटरी का उतरा सामान, लोहे के पलंग, कुर्सीयां, पंखे, कूलर,कम्प्यूटर, प्रिन्टर सामान, एल्यूमीनियम के गेट, लोहे की खिड़कीयां, बेटरियां, व अन्य सामान, स्टील गिलाश, भोजन थाली, एवं हॉस्टल का सामान	2479536 /-	50000 /-	दिनांक 07.05.2018 बोली प्रतिभूति जम्मा 11.00 से 12.00 तक तथा बोली प्रारम्भ 12.00 बजे से बोली स्थान : संस्थान परिसर

अतिरिक्त निदेशक

नीलामी की शर्तें

1. नीलामी किये जाने वाले उपकरणों/सामानों का निरीक्षण कार्यालय समय में संस्थान परिसर के मुख्य भवन के बेसमेन्ट, न्यू हॉस्टल के सैटकॉम के बगल के हॉल तथा बेसमेन्ट एवं हॉस्टल पावणा की रसोई के बगल के कक्ष में उपलब्ध सामानों का किसी भी कार्य दिवस में किया जा सकता है।
2. नीलामी की बोली लगाने से पूर्व निर्धारित बोली प्रतिभूति राशि जमा करवानी होगी। बोली प्रतिभूति राशि 11.00 बजे से 12.00 बजे तक जमा करवायी जा सकेगी। बोली प्रतिभूति राशि के अभाव में कोई भी व्यक्ति बोली लगाने का हकदार नहीं होगा।
3. बोलीदाता द्वारा रूपये 100/- के स्टाम्प पेपर पर इस बाबत शपथ पत्र दिया जाना होगा कि उक्त सामान का निस्तारण e Waste (Managment & handling) Rules 2010 के अनुसार किया जावेगा।
4. नीलामी समाप्ति पर अंतिम बोलीदाता द्वारा उच्चतम बोली राशि की 50 प्रतिशत राशि उसी दिवस को तथा शेष 50 प्रतिशत राशि तथा नियमानुसार जीएसटी की राशि आगामी 2 कार्य दिवस में डी डी के रूप में जमा कराकर कार्यालय समय में 10 दिवस में सामान को उठाना होगा। सामान समय पर नहीं उठाने पर एवं शेष राशि जमा नहीं कराने पर बोली प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जावेगी।
5. बिना कोई कारण बताये नीलामी को स्वीकार/अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार नीलामी समिति को होगा।
6. द्वितीय अधिकतम की बोली प्रतिभूति राशि प्रथम अधिकतम बोलीदाता के द्वारा 50 प्रतिशत राशि जमा करवा दिये जाने के उपरान्त ही लौटायी जावेगी। शेष बोलीदाताओं की अमानत राशि उसी दिन बोली समाप्ति के पश्चात् लौटा दी जावेगी।
7. नीलामी हेतु सामान जहाँ है जैसी स्थिति में नीलाम की जायेगी।
8. नीलामी बोली में बढ़ोतरी 100 रूपये के गुणक में ही स्वीकार होगी।
9. सामान की सुपुदर्गी के पश्चात् किसी भी नुकसान/कमी के लिए विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।
10. सफल अधिकतम बोलीदाता को सामान की डिलीवरी लेने से पूर्व अपनी पहचान एवं स्थाई पते के सत्यापन हेतु समुचित दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा।
11. किसी विवाद की स्थिति में समुचित न्यायिक क्षेत्राधिकार जयपुर रहेगा।



अतिरिक्त निदेशक